Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged sexual abuse of minor girls in Government Children home in Muzaffarpur, Bihar.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, बिहार मुजफ्फरपुर के बाल गृह में दुष्कर्म के शर्मनाक और दिल दहला देने वाली राष्ट्रीय शर्म की घटना घटी है। चौदह वर्ष से तीस वर्ष की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया और यहां तक की मार देने की घटना भी सामने आई है।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी यह मामला कल सदन में उठा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : ऐसी घटना मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर में घटी है। जो सत्ता संरक्षित रसूखदार लोगों का इसको संरक्षण प्राप्त है और आज बाल गृह में दुष्कर्म हो रहे हैं। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। एक तरफ बेटी बचाने का अभियान चल रहा है तो बेटी की अस्मत कैसे बचाएं? यह बिहार में हो रहा है। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : आज बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। वे स्कूल नहीं जाना चाहती हैं। बिहार में काला शासन है। एक निर्भया कांड नहीं बल्कि आज सैंकड़ो निर्भया कांड बिहार, मुजफ्फरपुर और पूरे देश में हो रहा है। इस पर माननीय गृह मंत्री जी संज्ञान लेंगे और बिहार सरकार का काला शासन है। वहां आज लड़कियां बाहर नहीं निकल रही हैं, मुजफ्फरपुर घटना शर्मसार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान,

श्री शंकर प्रसाद दत्ता,

श्री पी. करुणाकरन,

श्रीमती सुप्रिया सुले,

डॉ. ए.सम्पत एवं

एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीत रंजन जी, पहले मेरी बात सुनिए। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। एक महिला के नाते मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही संयमित भाषा में इसे रखेंगी। गंभीरता से बातों को रख जाता है, चिल्लाकर बात नहीं रखी जाती है। बहुत ही संयमित भाषा में आप अपनी बात रखें।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदया, आपने बच्चियों की उस फीलिंग को समझा, मैं भी उसी फीलिंग के आधार पर कहना चाहती हूँ कि मुज़फ्फरपुर के एक बालिका सुधार गृह में यह घटना घटी है। कहने को यह था कि 48 लड़कियों की मेडिकल जाँच हुई, जिसमें 41 लड़कियों की रिपोर्ट आई। पुलिस की जो जाँच रिपोर्ट है, उसमें 29 लड़कियों के साथ कई बार रेप होने की बात है तथा उनके शरीर पर जख्म मिलने की बात भी कही गई है। इसमें एक सात साल की बच्ची भी है, जो अब बोल भी नहीं पा रही है। बहुत-सी बच्चियाँ ऐब्नॉर्मल थीं, जिनके साथ भी बार-बार रेप हुआ।

ऐसी 13 संस्थाएँ हैं, उनके नाम मैं आपको दे दूँगी, हर संस्था पर शक की निगाह है और सभी संस्थाओं पर यह एलिगेशन लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ बालिकाएँ ही नहीं, बल्कि सुधार गृह में जो बालक जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उनको पोर्न मूवीज़ दिखाए जा रहे हैं, उनकी काउंसिलिंग होती है। प्रत्येक मंगलवार को काउंसिलिंग के नाम पर बच्चियों को सफ़ेदपोशों के समक्ष बिठाया जाता है। उन बच्चियों की यह गवाही है। वे सफ़ेदपोश कौन हैं, यह मुझे नहीं मालूम है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरिएंस बताना चाहूँगी कि पाँच-छह साल पहले जब मैं सांसद नहीं थी, तो मैंने कस्तूरबा गांधी स्कूल का विजिट किया था, मुझे किसी ने बताया था कि 21 बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक रात में वे बीमार पड़ गईं। वहाँ के सी.एस. ने स्वीकार किया कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। कस्तूरबा गांधी स्कूल में जेंट्स को नहीं रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जेंट्स थे। वहाँ भी रेप की घटना हुई। रात के ढाई बजे तक मैं वहाँ पर थी, वहाँ समाज के डर से कोई नहीं आया। मैंने एक प्रभुत्व मीडिया पर्सन से कहा कि इस घटना को हाइलाइट कीजिए। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्टल हो, बालिका सुधार गृह हो, इनको वेश्यावृत्ति का अड्डा बनाया गया है क्योंकि वे गरीब हैं, उनके आगे-पीछे कोई नहीं है। बहुत-से ऐसे बच्चे

हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनको शेल्टर में रखा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए उनका इस्तेमाल होता है, उनको सफ़ेदपोशों के लिए यूज़ किया जाता है।

उनको वहाँ से निकालकर मोकामा, भागलपुर, मधुबनी और पटना में रखा गया है। जब ये हालात हैं। इसमें सब लोग मिले हुए हैं, सभी के नाम आ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर उनकी सुरक्षा की चिन्ता कौन करेगा? क्या इसकी गारंटी है कि उन बच्चियों को धमकाकर उनके बयान नहीं बदलवाए जाएंगे?

माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरी मांग है कि इस मामले में वे जवाब दें, इसकी सीबीआई जाँच कराएँ और इस पर कोर्ट की निगरानी हो। जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उन बच्चियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। इसके साथ ही, पूरे देश में बाल सुधार गृह, बालिका सुधार गृह और छोटे-छोटे कबूतर के घरों जैसे शेल्टर्स से बच्चियों के संरक्षण के नाम पर जो वेश्यावृत्ति चल रही है, इसे रोका जाए। इन सब घटनाओं के कारण आज चेन्नई में हो रहे स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में स्विट्ज़रलैंड की एक बच्ची आने से इंकार कर रही है।

इसलिए इस घटना को गंभीरता से लेकर उन बच्चियों के संरक्षण के लिए कदम उठाएं ताकि बलात्कार एक खेल न बन जाए। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस पर कुछ जवाब दें ताकि पीड़ितों को कुछ आश्वासन मिले और उन लोगों को इस बात का डर हो कि इस सदन के माध्यम से इस घटना की इंक्वायरी होगी।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जिस मुद्दे को इस सदन में उठाया है, वह निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की भी माँग की है। राज्य सरकार की रिकमेंडेशन प्राप्त होते ही, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए विचार करेंगे।